(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1806-एक/2002 विरूद्ध आदेश दिनांक 31-5-2002 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 66/2001-02/अपील.

गढ़ा टूर्स एण्ड ट्रेव्हलर्स प्रोपराईर
श्रीमती रानी सिंह पति सुरेन्द्रसिंग
निवासी कंचनबाग, इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन .....अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश 31-5-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अतिरिक्त तहसीलदार, टप्पा नालछा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के मूल प्रकरण क्रमांक 16/अ-2/95-96 में पारित व्यपवर्तन आदेश दिनांक 29-11-97 के पालन में लगान वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । कार्यवाही के दारौन आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, धार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20-11-01 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 21-1-2002 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर अरायुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारादिनांक 5-2002 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष अनुपस्थित । यह प्रकरण वर्ष 2002 से निराकरण हेतु लम्बित है । अत: प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं:-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह संहिता की धारा 146 एवं 147 के विपरीत होने से निरसत किये जाने योग्य है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर अभी कृषि कार्य होने के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया गया था, जिस पर कोई ध्यान नहीं देकर वसूली की कार्यवाही करने के आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गम्भीर वैधानिक भूल की गई है ।

(3) संहिता की धारा 59(ए) के अनुसार जिस तारीख को भूमि का व्यपवर्तन किया जावेगा, उसी तारीख से भूमि का परिवर्तित लगान लागू होगा, अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त कियेजाने योग्य है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि पर प्रीमियम लागू नहीं किया जा सकता है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा लगान का पुर्ननिर्धारण आदेश विचाराधिकार बाह्य था, अत: वसूली की कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

4/ आवेदक द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेखित आधारों के संदर्भ अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के मूल प्रकरण क्रमांक 16/अ-2/95-96 में पारित आदेश दिनांक 29-11-97 के पालन में लगान वसूली की कार्यवाही की जा रही है । आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के उक्त व्यपवर्तन आदेश को चुनौती नहीं दी जाकर तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही लगान वसूली की कार्यवाही को चुनौती दी गई है । अत: अनुविभागीय अधिकारी का व्यपवर्तन आदेश यथावत है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी में कोई बल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-5-2002 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर